133

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : श्री एम. के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक–निगरानी 2763–तीन/2013, बिरूद्व आदेश दिनांक 20/12/1985, द्वारा पारित कलेक्टर जिला टीकमगढ़, प्रकरण कमांक 184/स्व0 निग0 85–86

1– मटोला तनय चेना चमार , 2– कल्ला तनय चैना चमार ,

निबासी– ग्राम बिलारीखेरा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ,

2– रम्फा तनय केंचुआ चमार,

निबासी– ग्राम बिलारीखेरा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र पटैरिया अधिवक्ता , आवेदकगण

श्री अनिल पाठक, अधिवक्ता अनावेदक क0 02

:: आदेश ::

(पारित दिनांक– ९/१०/2016)

1– आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केबल संहिता कहा जाबेगा) की धारा 50 के तहत कलेक्टर टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 184/स्व0 निग0/85–86 में पारित आदेश दिनांक 20/12/1985 से ब्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के बिद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया, कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 27/07/1983 को जरिये रजिस्टर्ड बिकयपत्र के अनावेदक कमांक 02 से ग्राम बिलारी खेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 98 में से 1.618 हैक्टेयर भूमि कय की थी। जिसका प्रतिफल भी अनावेदक कमांक दो को प्रदान करके अपना नाम उपरोक्त बिकय पत्र के आधार पर तत्समय ही नामांतरण पंजी कमांक 33 पर पारित आदेश दिनांक 15/04/1985 के द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया था। आवेदकगण कय दिनांक से ही वादभूमि पर काबिज चला आ रहे हैं। आवेदकगण द्वारा काफी लागत एवं श्रम लगाकर भूमि को उपजाउ बना लिया है। उपरोक्त बिकय के करीब तीन साल बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर, बगैर पंजीयन पर प्रांभिक आदेश पारित किये स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर वादभूमि को संहिता की धारा 165/7 (ख) के तहत पटटा भूमि मानकर म0प्र0 शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार खरगापुर के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज करके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 02 को सूचनापत्र जारी करने पर उनके द्वारा देरी केम्प में अंपना जबाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक 02 द्वारा उपरोक्त वादभूमि राजीखुशी से बिकय करना लेख किया है। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायायल द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक तथा पटवारी आदि के कथन अंकित किये बगैर ही मात्र प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण पंजी कमांक 33 दिनांक 15/04/1984 पर पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया। उपरोक्त आदेश में ना तो इस बात को कहीं भी उल्लेख है, कि किस दिनांक को किस प्रकरण कमांक के माध्यम से अनावेदक कमांक 02 को पटटा प्रदान किया गया था, ना ही इस बात का कहीं उल्लेख है कि, बिकेता को कब कितनी भूमि पटटा पर किस सक्षम अधिकारी के आदेश से प्राप्त हुई थी। कब भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाये बगैर ही जल्दबाजी में नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का पालन किये बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है।

4– आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादभूमि पर राजस्व अभिलेख में बर्तमान में भी आवेदकगण का नाम दर्ज हैं। प्रश्नाधीन आदेश का राजस्व अभिलेख में पालन ही नहीं किया गया है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 में डिक्री या आदेश का पालन करने की अवधि 12 बर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकरण में आदेश पारित हुये करीब 30 साल हो चुके हैं, एसी स्थिति में आदेश का पालन 12 साल के अंदर न होने के कारण भी प्रश्नाधीन आदेश प्रभावहीन हो जाता है। ए आई आर 2001 एस सी 2967 में उपरोक्त ब्यवस्था प्रदान की गई है।

5– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय संहिता की धारा 51 में दी गई स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग काफी लंबे समय उपरांत किया है , जबकि न्याय दृष्टांत– 1994 आर0 एन 392 – हा0 कोर्ट, 2010 रानि 273 हा0 कोर्ट , 2011 आर0 एन0 426 एवं आर0 एन0 2010 हा0 कोर्ट 409 पूर्णपीठ में व्यवस्था प्रदान की गई है कि, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग – आदेश की अबैधता , अनौचित्य तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिये –180 दिन के भीतर प्रयोग की जाना चाहिये। रविनारायण सिंह वनाम स्टेट ऑफ एम0पी0–2000 रानि 161 म0प्र0 उच्च न्यायालय में ब्यवस्था प्रदान की गई है कि, स्वमेव पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग निश्चित समय सीमा के अंदर करना चाहिये। 1988(1)म.प्र.वी.नो.261 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार ही ब्यवस्था प्रदान की गई है। जिस कारण से प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त बिबेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अधिनस्थ बिचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/12/1985 निरस्त किया जाता है। आवेदकगण का नामांतरण पंजी कमांक 33 पर पारित आदेश दिनांक 15/04/1984 बहाल किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मंडल की यह निगरानी परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर